फर्द अहकाम

गोपाल **बनाम** सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 82/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी व प्रोटोकाल (सरकार) की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 13/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	13/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 रा. भू. रा. अधि. को स्वीकार किया जाता है एवं विवादित निजी खसरा से लिंक मार्ग शामिल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली अमल दरामद होकर नक्शा में दर्ज हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी	

विशेष विवरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	दायर दिनांक	तारीख फैसला
83/2022	22.09.2022	13.01.2025

1. गोपाल पुत्र सूज्या जाति मीणा निवासी ग्राम जोधराला तहसील आंधी, जिला जयपुर। — प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील आंधी, जिला जयपुर। — अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामकरण शर्मा : — वकील प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती एवं नक्शा तरमीम
अन्तर्गत धारा 131, 132, सपठित धारा 136 लैण्ड रेवून्यू एक्ट

—:निर्णय :—

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा के यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि वाकै ग्राम जोधराला पटवार हल्का रायसर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बरं 769मि. रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। जिसकी किस्म वर्गीकरण चाही अव्वल 10 बिस्वा, जाव 9 बिस्वा, बारानी अव्वल 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड तरमीम शुद्वा रही है। जिसको अवधि बंदोबस्त 10 मार्च 2008 से 9 मार्च 2028 में परिवर्तित हाल खसरा नम्बर 102 रकबा 0.4000है0 किस्म चाही–1, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.0400है0, किस्म गै0मु0रास्ता, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.3600है0 चाही 1 कायम किये गये है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमियों का हाल नक्शा पूर्व नक्शें भिन्न तरमीम कर दिया गया है एवं प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में बिना किसी अधिकार के गै0मु0रास्ता अंकित दर्ज रिकार्ड कर दिया गया है जो गलत है इसलिये उक्त प्रकरण नक्शा दुरूस्ती एवं किस्म दुरूस्ती हेतु पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी के सहखातेदारों के खातेदारी अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नही पडेगा तथा कॉमन काज ऑफ एक्शन अराइज होने से उक्त प्रकरण नक्शा दुरूस्ती एवं किस्म दुरूस्ती हेतु पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 769 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि तरमीम शुदा खातेदारी भूमि नही रही है जिसके नये खसरा नम्बर 102 रकबा 0.4000है0, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.0400है0 किस्म गै0मु0रास्ता, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.3600है0, का नये सेटलमेंट सर्वे में गलत नक्शा एवं किस्म गै0मु0रास्ता कायम किया गया है जो मौके पर कब्जे व पूर्व तरमीम अनुसार नही है, ना ही वास्तविक स्थिति के अनुरूप है। प्रार्थी की भूमि का जो नया नक्शा बनाया गया है उस नक्शें में पूर्व तरमीम शुदा भूमि को पूर्व नक्शें से भिन्न तरमीम कर गलत प्रकार से प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि में खसरा नम्बर 103 रकबा 0.04है0 गै0मु0रास्ता गलत तरमीम व राजस्व जमाबन्दी में किस्म गलत दर्ज की गई है। हाल खसरा नम्बर 103 के साबिक खसरा नम्बर 769मि. रहे है जो तरमीम शुदा था जिसमें कोई रास्ता ना तो नक्शें में था, ना मौके पर था और ना ही राजस्व जमाबन्दी में था जो कि सैटलमेंट कर्मचारियों ने पूर्व नक्शें

से भिन्न नक्शा तरमीम किया है जो गलत है जिसे पूर्व नक्शें एवं पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जो दुरूस्तनीय है। साबिक खसरा नम्बर 769 जो कि पूर्व से तरमीम शुदा रहा है हाल खसरा नम्बर 102, 103, 104 कायम किये गये है जो पूर्व नक्शें के विपरित तरमीम किये गये है तथा साबिक खसरा नम्बर 769 के राजस्व रिकार्ड व नक्शें में कोई रास्ता नही अंकित नही था ना ही राजस्व जमाबन्दी में किस्म गै0मु0रास्ता रही है। जो पूर्व नक्शा एवं राजस्व जमाबन्दी व हाल नक्शा व राजस्व जमाबन्दी दोनों का मिलान करने पर दोनो भिन्न है जबकि प्रार्थी पूर्व तरमीम अनुसार काविज चले आ रहे है। इस प्रकार हाल भू प्रबंध विभाग द्वारा किये गये सर्वे में गलत तरमीम व राजस्व जमाबन्दी में किस्म गै0मु0रास्ता कर दी गई है जबकि भू प्रबंध कर्मचारियों को पूर्व तरमीम शुदा खातेदारी एवं राजस्व जमाबन्दी की किस्म की नई तरमीम व किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थी के गत खसरा नम्बर 769 जिसके नवीन खसरा नम्बर 102, 103, 104 कायम किये गये है के नवीन नक्शें की तरमीम व नवीन राजस्व जमाबन्दी किस्म वर्गीकरण को पूर्व नक्शें अनुसार एवं राजस्व जमाबन्दी किस्म वर्गीकरण अनुसार नवीन नक्शा व राजस्व जमाबन्दी में किस्म वर्गीकरण दुरूस्त कर हाल खसरा नम्बर 102, 103, 104 के नक्शा तरमीम को एवं राजस्व जमाबन्दी में किस्म वर्गीकरण को दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/ आर0टी0/2024/430 दिनांक 09.05.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी ग्राम जोधराला पटवार हल्का रायसर मे हाल खसरा नम्बर 102, 103, 104 गोपाल पुत्र सुज्या, चौथू पुत्र सुज्या, मूल्या पुत्र शंकर कौम मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज है। जिसका साबिक खसरा नम्बर 769मि. है। प्रार्थीगण ने वाद में बताया कि हाल नवीन सैटलमेंट अवधि बन्दोबस्त 10 मार्च 2008 से 9 मार्च 2028 में गत साबिक खसरा नम्बर 769मि. रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा के नवीन (हाल) खसरा नम्बर 102 रकबा 0.40है0 किस्म चांही 1, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.04है0 किस्म गै0मु0रास्ता, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.36है0 किस्म चाही1 खसरे बने है। प्रार्थीगण ने दावा में बताया है कि उक्त रास्ता की तरमीम गलत दर्ज कर दी गई है। हाल नक्शा एवं साबिक नक्शा (भूमि एकीकरण) का मिलान करने पर उक्त आराजी खसरा नम्बर 769 मि. (साबिक) में किसी प्रकार का रास्ता दर्ज नही पाया गया। जबकि हाल नवीन सेटलमेंट अवधि बन्दोबस्त 10 मार्च 2008 से 9 मार्च 2028 नक्शें में खसरा नम्बर 103 रकबा 0.04है0 किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज है। भूमि एकीकरण नक्शा के अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 103 को दुरूस्त कर खसरा नम्बर 102 में मिलाकर दुरूस्त किया जाना उचित है। खसरा नम्बर 103 रकबा 0.04है0 को विलोपित कर खसरा नम्बर 102 रकबा 0.40है0 के स्थान पर 0.44है0 दुरूस्त किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम जोधराला, पटवार हल्का रायसर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 769 जिसके नवीन खसरा नम्बर 102, 103, 104 कायम किये गये है, के नवीन नक्शे की तरमीम एवं नवीन राजस्व जमाबन्दी किस्म वर्गीकरण को पूर्व नक्शें एवं पूर्व राजस्व जमाबन्दी अनुसार हाल नक्शा एवं हाल राजस्व जमाबन्दी में दुरूस्त करते हुये वर्तमान राजस्व नक्शा व राजस्व जमाबन्दी में कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 13.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ